

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना**

**सं. 01/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2017

सा.का.नि. (अ),- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2011 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जिसे सा.का.नि. 117 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 354/122/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 2/2011-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 117(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा, प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 37/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 31 दिसंबर, 2016 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं 1201(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, से अंतिम बार संशोधित की गई थी।